



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00248/CR-1

दिनांक : 16.03.2018

सेवा में,

श्री जयराम प्रसाद

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 05.03.2018, के तहत, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 14.03.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00248 के तहत प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर बिंदुअनुसार है:-

1

सहायक (डाक अनुभाग) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के तहत सहायता ली गई। डाक अनुभाग द्वारा बताया गया की आप द्वारा भेजी गई complainat दिनांक 21.07.2017 को इस आयोग में प्राप्त हुई, जिसे डायरी संख्या 152190 के तहत केन्द्रीय रजिस्ट्री को भेजा गया। इस आयोग का कम्प्यूटरीकृत डाक मैनेजमेंट सिस्टम दर्शाता है कथित डायरी संख्या को फाइल संख्या CIC/CBIND/C/2017/152190 दिनांक 28.07.2017 को outsourced vendor द्वारा scrutiny करने के पश्चात् पंजीकृत किया गया। जिस पर उचित समय पर माननीय सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई होगी।

2 चूँकि File Noting/टिप्पणी maintain नहीं की जाती है। अतः यह मौजद न होने के कारण, प्रदान नहीं की जा सकती है।

3 & 4

चूँकि चाही गई सूचना opinion/advise etc से सम्बंधित है जो कि setion 2(f) RTI Act, 2005 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह , अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप -सचिव पंजियक -उप /

केन्द्रीय रजिस्टरी - 1

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप -सचिवपंजियक -उप /